न्यायालय : मुंसिफ प्रथम , मधुबनी

T.S.-37/2019

CIS-199/2019

Date		Remarks
14.06.2022	वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतन हज़ारी दी गयी है। उभय पक्षों को वादी के द्वारा दाखिल मरम्मती आवेदन अंदर आदेश 06 नियम 17 वो दफा 151 C.P.C. दिनांक 19-04-2022 तथा प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 26-04-2022 पर सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु निश्चित है। अभिलेख उपस्थापित किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है की वादी द्वारा आवेदन दिनांक 19-04-2022 इस आशय का दिया गया है की गलती, भूल वो इनएडवरटेंश के अंदर अर्जीदावी चंद अंक वो अल्फाज दर्ज होना छूट गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के द्वारा अभी तक बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया है। अतः प्रस्तावित मरम्मत से प्रतिवादी को कोई प्रिज्यूडिस नहीं होगा। प्रस्तावित मरम्मत से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना करते है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने प्रतिउत्तर दिनांक 26-04-2022 में वादी के आवेदन का प्रबल विरोध करते हुए कहना है की वादी के द्वारा दाखिल मरम्मत आवेदन कानूनन ग्राह्य योग्य नहीं है। वादी को इस तरह आवेदन दाखिल करने का कोई हक़ नहीं है। वादी ने अपने अर्जीदावी के अन्य किसी कंडिका में किसी नया खेसरा नंबर का जिक्र नहीं किया है। वादी केवल अर्जीदावी में मद नंबर 01 में नया खेसरा नंबर जोड़ना चाहते है। वादी वर्त्तमान मरम्मत की आड़ में वाद का स्वरूप में परिवर्तन लाना चाहते है तथा ऐसी मरम्मत से वादी नया फ्रंट बदलने पर आमदा है। वादी के मरम्मत आवेदन में कोई बल नहीं है। इसे ख़ारिज किया जाय। उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के विश्लेषण से स्पष्ट है की वादी ने अपने अर्जीदावी / वादपत्र के मद संख्या -01 में खेसरा संख्या 3192, 3786, 3745, 25, 26, 23 तथा 119 के साथ उन्ही का नया खेसरा नंबर जो उनके नीचे लिखा जायेगा क्रमशः 6653, 6510, 6345, 40 तथा 225 नया खेसरा जोड़ने का निवेदन करते है। पुराने खेसरा के साथ नए खेसरा वाद पत्र में जोड़ने से वाद पत्र की प्रकृति में बदलाव नहीं होता है, साथ ही न्याय निर्णय में सुगमता होगी। ऐसे में वादी का आवेदन दिनांक 19-04-2022 को स्वीकृत किया जाता है, साथ ही वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है की कार्यालय लिपिक के सहयोग से एक सप्ताह के अंदर अर्जीदावी में पुराने खेसरा के नीचे नए खेसरा अविलिखित कर न्यायालय को सूचित करे। दिनांक 28-06-2022 वास्ते प्रतिवादी संख्या 02 की उपस्थिति एवं बयान तहरीरी दाखिल करने। **लेखापित** **मुंसिफ प्रथम**	